पटना में दिनांक–18 दिसम्बर, 2012 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. कृषि रोड मैप के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन तथा राज्य योजना अंतर्गत उत्तम शस्य क्रिया (लीची) एवं बक्सर जिला में पुदीना (मेंथा) की खेती का विकास कार्यक्रम के लिए बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी को वर्ष 2012–13 में 2547.10 लाख रू० (केन्द्रांश 427.83 लाख रू० तथा राज्यांश 2119.27 लाख रू०) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

कृषि विभाग

2. वर्ष 2012–13 में पूर्व में खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मद में स्वीकृत 619.75 करोड़ रू० के अधीन रबी फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की अनुमति की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

3. 18" व्यास तक के वर्टिकल एवं सर्कुलर आरा मिलों को बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम,1990 के धारा–25 के तहत अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त घोषित करते हुए संकल्प संख्या–2675 दिनांक–30.08.2010 की कंडिका–3 (5) में लगाई गई पंजीकरण के शर्त्त को विलोपित करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

4. कृषि रोड मैप (2012–17) के लक्ष्यों को पूरा करने तथा कृत्रिम गर्भाधान माध्यम से पशुधन के नस्ल सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 10100.80 लाख (एक अरब एक करोड़ अस्सी हजार) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत पशुधन विकास योजना की स्वीकृति। — 4. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. सारण जिलान्तर्गत मांझी अंचल के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, धनी छपरा हेतु मौजा–कौरू धौरू, थाना सं०–221, खाता नं०–293, खेसरा सं०–1096, रकबा–0.16 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म गड्ढा भूमि, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6.	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया अंचल के मौजा--फुलवरिया वार्ड नं०–1, थाना नं०–147, खाता नं०–04, खेसरा नं०–415 रकबा–0.12 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म–सड़क भूमि, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	**6.** **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

7.	न्याय मंडल शिवहर की स्थापना हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के एक पद के सृजन के संबंध में।	**7.** **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना द्वारा राज्य के प्रशासनिक सुधार के लिए संचालित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹ 27,00,00,000/–(सताईस करोड़) रूपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।	**8.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

9.	अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के लिए गैर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संस्थान को सुदृढ़ करने, रिक्त पदों को भरने एवं सामाजिक भूगोल एवं शांति व अहिंसा केन्द्र की स्थापना हेतु कुल रूपये 4,86,25,000/–(चार करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	**9.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

10.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत वैसे सभी उपाचार्य अथवा सलेक्शन ग्रेड व्याख्याताओं को चाहे वे कालबद्ध प्रोन्नति योजना अथवा मेधा प्रोन्नति योजना अथवा कैरियर एडभान्समेन्ट स्कीम के अधीन प्रोन्नत हुए हों, को दिनांक–01.01.96 को पाँच वर्ष की सेवा अवधि उपाचार्य/सलेक्शन ग्रेड व्याख्याता के रूप में पूरी करने पर अथवा पाँच वर्ष की कालावधि पूरा करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 12000–18300 में न्यूनतम ₹ 14940/– प्रक्रम पर वेतन अनुमान्य किये जाने के संबंध में।	**10.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजनान्तर्गत बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, एस०एन० सिन्हा महाविद्यालय, औरंगाबाद तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय, भभुआ में परीक्षा भवन के निर्माण हेतु प्रति इकाई रू० 4,57,34,000/–(चार करोड़ संतावन लाख चौतीस हजार) की दर से तीनों परीक्षा भवन निर्माण हेतु कुल रू० 13,72,02,000/–(तेरह करोड़ बहत्तर लाख दो हजार) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा तत्काल योजना कार्यान्वयन हेतु रू० 5,00,00,000/–(पाँच करोड़) सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — **11. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

12. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना के बालिका छात्रावास निर्माण, कुल रूपये 6,85,79,561/–(छः करोड़ पचासी लाख उन्यासी हजार पाँच सौ एकसठ) मात्र पर किये जाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में योजना प्रारंभ करने हेतु रू० 4,30,00,000/–(चार करोड़ तीस लाख) व्यय की स्वीकृति के साथ–साथ संस्थान के विविध व्ययों के लिए कुल रूपये 70,00,000/–(सत्तर लाख) अर्थात वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में संस्थान के लिए कुल रूपये 5,00,00,000/–(पाँच करोड़) सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — **12. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

13. डा०दया ब्रजेश्वर दयाल, सहायक, प्राध्यापक एफ०एम०टी० विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल गया की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

गृह (आरक्षी) विभाग

14. बिहार सैन्य पुलिस एवं एस०टी०एफ० को आवंटित कुल–280 ए०के०–47 रायफलों में लेजर लाईट, टेलिस्कोप एवं नाईट विजन डिवाईस लगाकर उन्नयन हेतु कुल ₹ 5,60,00,000/–(पाँच करोड़ साठ लाख रू०) मात्र के लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(विशेष)

15. दिनांक–03.06.2011 को फारबिसगंज जिला–अररिया में हुई पुलिस गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग का दिनांक–01.01.2013 से 31.12.2013 तक अवधि विस्तार के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

16. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन (डी०डी०जी०) के जरिये ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु केन्द्र सरकार के आर०इ०सी० के माध्यमसे 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में 3406.18 लाख एवं 10 प्रतिशत ऋण के रूप में रू० 378.46 लाख कुल 3784.64 लाख रू० की योजना की स्वीकृति। — **16. स्वीकृत।**

निर्वाचन विभाग

17. बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 की कंडिका –12 में संशोधन के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

18. बिहार स्टाम्प मैनुअल, 1955 के एपेन्डिक्स IX के Board Instruction की कंडिका 38 को संशोधित कर सचिव, राजस्व पर्षद के स्थान पर निबंधन महानिरीक्षक प्रतिस्थापित करने के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

19. संविदा के आधार पर नियोजन एवं नियोजन की प्रक्रिया स्थगित रखे जाने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

20. माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में तदर्थ रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियमित प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

21. आर०ए०पी०डी०आर०पी० पार्ट–बी के अन्तर्गत राज्य के 64 चिन्हित शहरों में विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के लिए कुल लागत 1155.21 करोड़ रूपये की येाजना की स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि का पावर फाइनॉन्स कारपोरेशन एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से सीधे अथवा इनभेस्टमेन्ट बैंकर्स के माध्यम से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार की गारंटी की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

गृह (आरक्षी) विभाग

22. विपार्ड के माध्यम् से थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 4,94,00,000/- (चार करोड़ चौरानवे लाख रू०) मात्र के अग्रिम की स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

23. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में बिहार उत्पाद सेवा के सहायक आयुक्त उत्पाद, वेतनमान पी०बी०-2-₹9300-34800+ग्रेड पे-₹ 5400 से उपायुक्त उत्पाद, वेतनमान पी०बी०-3-₹15600-39100 +ग्रेड पे-₹ 7600 तथा अधीक्षक उत्पाद, वेतनमान पी०बी०-2-₹9300-34800+ग्रेड पे-₹ 4800 से सहायक आयुक्त उत्पाद, वेतनमान पी०बी०-2-₹9300- 34800+ग्रेड पे-₹ 5400 के पद पर नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति। — 23. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

24. अध्यक्ष सह सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक- 15.10.2012 की अनुशंसा के आलोक में बिहार उत्पाद सेवा के पदाधिकारियों को एम०ए०सी०पी० योजना- 2010 के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति। — **24. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

25. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सब्सीडी के रूप में कुल 720 करोड़ रूपये स्वीकृत करते हुए वर्ष 2012-13 के माह दिसम्बर, 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए 180 करोड़ रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 720 करोड़ रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **25. स्वीकृत।**